www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 169 नागपुर, मंगलवार, 16 मई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्नन की याचिका सुनने से किया इनकार

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस कर्नन की सजा में छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने जस्टिस कर्नन के वकील से कहा कि आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल कर्नन की ओर से याचिका दाखिल करके कोर्ट से अपने खिलाफ दिये गये आदेश को रद्द करने की जल्द सुनवाई की मांग की गयी थी। हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई अपने तय समय पर किये जाने का आदेश दिया है।गौरतलब है कि उच्च न्यायालय की ओर से कोर्ट की अवमानना के आरोप में जस्टिस कर्नन को छह माह की सजा सुनायी गयी थी, साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जस्टिस कर्नन के किसी भी बयान और आदेश को प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने जस्टिस कर्नन की तत्काल गिरफ्तारी का भी आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से उनकी ओर से याचिका दाखिल करके अपनी सजा को रद्द करने की मांग की जा रही है।

उच्च न्यायालय का आदेश बना इतिहास

भारत के न्यायिक इतिहास का यह पहला वाक्या है, जब हाईकोर्ट के किसी जज को अदालत की अवमानना का दोषी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया हो। पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने जस्टिस कर्नन के खिलाफ फैसला देते हुए कहा था कि जस्टिस कर्नन के मानसिक जांच कराने से मना कर दिया, साथ ही खुद को मानसिक तौर पर स्वस्थ्य बताया है। ऐसे में उन्हें सजा में किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है।

राजनीति में आऊंगा तो बुरे लोगों को दूर रखूंगा - रजनीकांत

चेन्नई

8 साल के लंबे अंतराल के बाद सुपरस्टार रजनीकांत सोमवार से 4 दिन तक लगातार अपने प्रशंसकों से मुलाकात करेंगे । रजनी से मिलने के लिए सुबह से ही उनके घर पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गयी हैं। प्रशंसकों से मिलने के दौरान रजनीकांत उन्हें संबोधित भी किया।

चेन्नई में प्रशंसकों को संबोधित करते हुए बोले रजनीकांत, 21 साल पहले एक राजनीतिक गठबंधन को समर्थन देकर गलती कर चुका हूं। यह एक राजनीतिक दुर्घटना थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं राजनीति में जाऊंगा भी, तो अपने साथ बुरे लोगों को नहीं आने दूंगा, मैं ऐसे लोगों को दूर रखूंगा।

कहा जा रहा है कि 66 वर्षीय अभिनेता अपने प्रशंसकों से कोई चर्चा नहीं करेंगे बल्कि उनके साथ सिर्फ तस्वीरें खिचवाएंगे। इस सिलसिले में संबद्ध प्रशंसक क्लबों को न्योता भेजा गया है ताकि 15 और 19 मई के बीच विभिन्न सत्र में वे शामिल हो सकें।

गौरतलब है कि रजनीकांत पिछले महीने भी इसी तरह की मुलाकात करने वाले थे लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया था। अपनी फिल्म शिवाजी की सफलता के बाद आखिरी बार उन्होंने 2009 में प्रशंसकों से ऐसी मुलाकात की थी।

जाधव मामले में पाकिस्तान को झटका, आइसीजे ने वीडियो देखने से किया इन्कार

नई दिल्ली

पाकिस्तान में भारतीय कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सजा को लेकर भारत और पाकिस्तान करीब 18 साल बाद एक बार फिर हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) में आमने-सामने हैं। मामले में भारत की दलीलों को सुनने के बाद आइसीजे ने पाकिस्तान का पक्ष सुना। सुनवाई के दौरान आइसीजे ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया। आइसीजे ने पाकिस्तान की ओर से पेश किए गए जाधव के कबूलनामे का वीडियो देखने से इन्कार कर दिया। पाकिस्तान की ओर से पैरोकारों ने कहा कि भारत की याचिका गैर जरूरी और गलत है। भारत ने इस कोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक थियेटर के रूप में किया है।

कुलभूषण के पासपोर्ट पर छपे मुस्लिम नाम का जिक्र करते हुए पाकिस्तान ने कहा कि इस विषय पर भारत सफाई देने में असमर्थ रहा है। पाक ने यह भी दलील दी है कि जाधव मामले में वियना संधि लागू नहीं होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर आइसीजे फैसला नहीं ले सकती। पाक ने कहा कि जाधव ने अपना जुर्म कबूल किया है और इस मामले में भारत की अर्जी खारिज होनी चाहिए। पाकिस्तान ने कोर्ट से कहा है कि जाधव को फांसी देने की कोई जल्दी नहीं है। जाधव के पास अपील करने के लिए 150 दिन हैं, साथ ही यह भी कहा कि जाधव काउंसलर एक्सेस के योग्य नहीं है। दोनों देशों की दलीलों को सुनने के बाद आइसीजे ने कहा है कि कोर्ट जल्द से जल्द फैसला सुनाएगा। इस मामले में 11 जजों की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट के समक्ष भारत की ओर से संयुक्त विदेश सचिव (कानून) वी. डी शर्मा. ने कोर्ट को बताया कि पाकिस्तान ने भारत की मांग ना मान कर वियना संधि का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से मुअज्जम अहमद खान (एजेंट), मोहम्मद फैसल (एजेंट), क्यूसी ख्वार कुरेशी (काउंसिल) आइसीजे में दलील पेश की।

न्यायिक मदद के बिना जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई

आइसीजे में भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण से मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस नहीं दिया, आज भारत के सवा अरब लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। भारत ने कहा कि न्यायिक मदद के बिना जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई और उन्हें फंसाया। इस मामले में उनकी मां की अपील तक नहीं सुनी गई। भारत ने कहा कि जाधव की गिरफ्तारी के बाद भारत को कोई जानकारी नहीं दी गई।

भारत का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जाधव के परिवारवालों की तरफ से वीजा आवेदन अभी भी लंबित है और भारत चाहता है कि कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले को अमान्य करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जाधव के ट्रायल को लेकर कोई दस्तावेज भारत को नहीं दिया गया। जाधव को ईरान से अगवा किया गया और जबरदस्ती बयान लिया गया।

पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने पिछले महीने जाधव को मौत की सजा सुनाई है। इससे पहले 1999 में पाकिस्तानी नौसैनिक विमान को मार गिराने के मामले में दोनों देश इस न्यायालय में आमने-सामने आए थे।

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक निकाय आइसीजे, सोमवार को नीदरलैंड के हेग स्थित पीस पैलेस के ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में इस मामले की सार्वजनिक सुनवाई करेगा। भारत ने आठ मई को इस अंतरराष्ट्रीय अदालत में याचिका दायर की थी। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान ने विएना समझौते का उल्लंघन कर उसके पूर्व नौसैनिक अधिकारी से राजनयिक संपर्क के आवेदन को लगातार 16 बार खारिज कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने जाधव के परिवार के वीजा आवेदन का भी कोई जवाब नहीं दिया। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

नर्मदा को बचाने के लिए जारी किया गया रोडमैप - प्रधानमंत्री

अमरकंटक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा संरक्षण के लिए सोमवार को जारी किये गये रोडमैप को भविष्य के विजन के लिए परफेक्ट डॉक्युमेंट बताया है और मध्यप्रदेश सरकार से कहा है कि वह इसे देश के अन्य राज्यों को भी साझा करे, ताकि वे भी अपने-अपने राज्यों में नदियों के संरक्षण के लिए ऐसी ही पहल शुरू कर सकें।

यहां 148 दिनों तक चली नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के समापन समारोह को यहां संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, यह डॉक्युमेंट मुझे पहले ही भेज दिया गया था और मैंने इसे पूरी तरह से पढ़ा है। इसमें वह सभी ब्योरे दिये गये हैं, जिन-जिन कामों को किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है और किस समय तक किया जाना है। मेरे विचार में यह रोडमैप भविष्य के विजन के लिए परफेक्ट डॉक्युमेंट है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जनभागीदारी से नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए चलाये जा रहे अभियान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि नक्शे में देश में कई नदियां है, लेकिन इनमें पानी नहीं है। मोदी ने मंच पर मौजूद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से आहवान किया कि इस डॉक्युमेंट को देश के अन्य राज्यों के साथ साझा करे, ताकि वे भी अपने-अपने राज्यों में नदियों के संरक्षण के लिए ऐसी ही पहल शुरू कर सकें। इस यात्रा को शुरू करने के लिए प्रदेश की जनता एवं विशेष रूप से चौहान को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, नर्मदा संरक्षण का अभियान चलाकर मध्यप्रदेश ने नदी, मानवता एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मोदी ने कहा, गुजरात के लोग पानी की एक-एक बूंद के महत्व को जानते हैं। मैं गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के नागरिकों की ओर से इस अभियान को चलाने के लिए मुख्यमंत्री चौहान एवं मध्यप्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नर्मदा के संरक्षण के लिए चलाये जा रहे ऐसे महान कार्य को हम समझ नहीं सके। यदि यही अभियान दुनिया के किसी देश में 150 दिनों तक चला होता, तो मीडिया एवं अन्य लोग वहां दौड़ पड़ते, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे मौके गवां देते हैं।

इस संबंध में उन्होंने विश्व के किसी भी भाग में सोलर प्लांट लगाये जाने के महत्व का उदाहरण देते हुए कहा कि इसकी चर्चा पूरे दुनिया में होने लगती है।मोदी ने हाल ही में मध्यप्रदेश के दो शहरों इंदौर एवं भोपाल को देश का क्रमश: पहला एवं दूसरा स्वच्छ शहर मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि यह मध्यप्रदेश के लिए गर्व का विषय है। देश के 100 सबसे अधिक स्वच्छ शहरों की रेटिंग में प्रदेश के 22 शहरों ने स्थान पाया है।

संसदीय लोकतंत्र के लिए 'थ्री डी' आवश्यक - राष्ट्रपति

जयपुर

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि संसदीय प्रजातंत्र में तीन डी महत्वपूर्ण हैं। इसमें डिबेट (बहस), डिस-एग्रीमेंट (असहमति) और डिसीजन (निर्णय) शामिल हैं। पहले किसी भी विषय पर बहस हो। इस दौरान असहमति आती हो तो उस पर विचार कर निर्णय लिए जाए। निर्णय किसी बहुमत वाली सरकार का नहीं बल्कि संसद का होता है। राष्ट्रपति ने भारत में संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने को लेकर हो रहे प्रयासों को गलत बताया। कहा कि संसदीय लोकतंत्र हमारे देश की ताकत है, लेकिन हम इसे धीरे-धीरे कमजोर कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ने सोमवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में पूर्व उपराष्ट्रपति स्व.भैरोंसिंह शेखावत की स्मृति में आयोजित व्यख्यान माला के दौरान यह बातें कहीं। उन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि 23 वर्षों से चामलिंग ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सिक्किम का विकास किया है। इस मौके पर चामलिंग ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है।

हैप्पीनेस जीडीपी से ज्यादा जरूरी

राष्ट्रपति ने कहा कि आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे सांसदों एवं विधायकों, अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने विशेषाधिकार को बर्बाद किया है। हैप्पीनेस (खुशी) को जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) से अधिक जरूरी बताते हुए कहा कि पहले राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता का फार्मूला तय नहीं था।

मुख्यमंत्री शिकायत करते थे। मै जब योजना आयोग का उपाध्यक्ष था, तब स्व.शेखावत ने गाडगिल फार्मूले पर आपत्ति की थी। शेखावत की शिकायत थी कि इस फार्मूले में राज्यों के आकार को ध्यान में नहीं रखा गया।

नरेंद्र मोदी में क्षमता थी इसलिए प्रधानमंत्री बने, मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं - नीतीश

पटना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी में क्षमता थी, इस कारण आज वह देश के प्रधानमंत्री हैं। जिसकी क्षमता को लोग पहचानेंगे, वह देश का प्रधानमंत्री होगा। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। पटना में लोक संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदार नहीं हैं।

उन्होंने कहा, मैं 2019 के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। मेरी पार्टी छोटी है, जिसमें क्षमता होगी वह प्रधानमंत्री होगा। पांच साल पहले किसी ने सोचा था कि मोदी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन जनता को उनमें क्षमता दिखी और आज वह प्रधानमंत्री हैं, जिसमें क्षमता होगी वह 2019 में आगे आएगा। नीतीश ने कहा, मुझे मालूम है, मुझमें वैसी क्षमताएं नहीं हैं। मैं एक छोटी पार्टी का नेता हूं और मेरी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे

बिहार के लोगों को सेवा करने के लिए जनादेश मिला है और मैं उसी में लगा हूं।

बिहार के मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लेकर सर्वानुमति बनाने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में सोमवार को आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने नीतीश से आसन्न राष्ट्रपति चुनाव के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इस मामले में सत्ताधारी दलों को सर्वानुमति बनानी चाहिए, अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो विपक्ष का दायित्व बनता है कि वे आपस में बातचीत कर अपना उम्मीदवार खड़ा करे। उन्होंने कहा कि पहले तो केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि वह पहल करे और अब तक के जो उदाहरण हैं, उनमें केंद्र में सत्ता में बैठे लोगों को पहल करनी चाहिए तथा सभी दलों से बातचीत करनी चाहिए।

नीतीश ने कहा कि समस्त विपक्ष से बात कर अगर सर्वानुमति बनायी जाती है तो अच्छी परंपरा और उदाहरण होगा लेकिन अगर आप विपक्ष से किसी को पूछते नहीं हैं तो वे बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि आपस में बातचीत कर उम्मीदवार तय करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी समझ से केंद्र को पहल करनी चाहिए और सर्वानुमति का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष का कर्तव्य है कि वह अपना साझा उम्मीदवार खड़ा करे।जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश की यह टिप्पणी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विपक्ष को इस मामले में एकजुट करने के प्रयास के मद्देनजर महत्व रखती है, ■ शेष पृष्ठ 2 पर

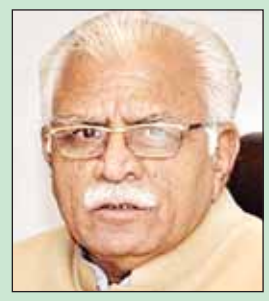

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा रोहतक गैंगरेप हत्या मामला

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार (15 मई) को कहा कि 23 वर्षीय दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई सोनीपत में फास्ट ट्रैक अदालत में होगी। उन्होंने कहा, एक सभ्य समाज में इस तरह के घृणित अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। महिला नौ मई को सोनीपत से लापता थी और 11 मई को रोहतक के अर्बन स्टेट में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के पास उसका सड़ा हुआ क्षत-विक्षत शव मिला था। कुत्तों ने महिला के चेहरे और शरीर के कई दूसरे हिस्सों पर काट रखा था।

महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिये हरियाणा सरकार द्वारा ऑपरेशन दुर्गा शुरू किये जाने के बमुश्किल एक महीने बाद यह दिल दहला देने वाली घटना हुई। अपराध की निर्ममता ने दिल्ली के निर्भया कांड की खौफनाक यादें ताजा कर दीं जिसने देशभर में महिला सुरक्षा को लेकर नई बहस और जनआंदोलन छेड़ दिया था।

पीड़ित के पोस्टमार्टम में सामने आया कि महिला के सिर की हड्डी कई टुकड़ों में टूट गई और उसके निजी अंगों में कुछ तेजधार चीज भी घुसाई गई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी वादा किया कि राज्य के गुड़गांव में एक 22 वर्षीय महिला के साथ कथित दुष्कर्म में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

देश की आधी आबादी रहती है आपदा प्रभावित इलाकों में - गृहमंत्री

नई दिल्ली

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित देशों में से एक करार दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि देश की आधी आबादी ऐसे इलाकों में रहती है, जो आपदाओं के लिहाज से सुरक्षित नहीं हैं। सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का गठन किया गया है, ताकि राज्य सरकारों व अन्य शेयर धारकों के सहयोग से हर तरह की आपदाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति तय की जा सके।

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

राजनाथ सिंह ने यह बातें कहीं। उनके अनुसार, देश की 50 फीसदी से अधिक की जनसंख्या ऐसे इलाकों में रहती है, जो भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखे और सुनामी प्रभावित हैं। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री, राज्य आपदा प्रबंधन प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न आपदाओं की समस्याओं से निपटने वाले शीर्ष वकील व पुलिस अधिकारी और गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सिंह ने कहा कि भारत ने 1999 में ओडिसा में आए तीव्र चक्रवात और 2001 में गुजरात में भूकंप और 2004 में आए सुनामी से सबक सीखा है और आपदा जोखिम को कम करने को लेकर अपने रुख में काफी बदलाव लाया है।

समय की कमी की वजह से सिर्फ तीन तलाक पर ही करेंगे सुनवाई - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह समय की कमी की वजह से सिर्फ तीन तलाक पर सुनवाई करेगा लेकिन केन्द्र के जोर के मद्देनजर बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दों को भविष्य में सुनवाई के लिए खुला रख रहा है।

प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, हमारे पास जो सीमित समय है उसमें तीनों मुद्दों को निबटाना संभव नहीं है। हम उन्हें भविष्य के लिए लंबित रखेंगे। अदालत ने यह बात तब कही जब केन्द्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि दो सदस्यीय पीठ के जिस आदेश को

संविधान पीठ के समक्ष पेश किया गया है उसमें तीन तलाक के साथ बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दे भी शामिल हैं। केन्द्र की यह बात उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी के मद्देनजर अहम है कि वह सिर्फ तीन तलाक का मुद्दा निबटाएगा और वह भी तब जब यह इस्लाम के लिए बुनियादी मुद्दा होगा।

अगर तीन तलाक अमान्य हुआ तो केंद्र सरकार लाएगी नया कानून

तीन तलाक के मामले में सुनवाई के दौरान सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि अगर अदालत तीन तलाक को अमान्य और असंवैधानिक करार देती है तो वह मुस्लिमों के बीच शादी और तलाक के नियमन के लिए एक नया कानून लाएगी।

एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ के सामने अपना पक्ष रखा,वहीं रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से निकाह, हलाला और बहुविवाह पर भी सुनवाई का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सीमित समय है, आगे इसकी समीक्षा होगी।

गौरतलब है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोमवार को अपना पक्ष रखने को कहा था। अभी तक कोर्ट में दलीलें रखने वाले सभी पक्षों ने एक साथ तीन तलाक बोलने की व्यवस्था को खत्म करने की पैरवी की है। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ तीन तलाक की वैधानिकता पर विचार कर रही है। ■ शेष पृष्ठ 2 पर